(4)

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, का न्यायालय, पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

राजस्व न्यायालय

नामांतरण अपील वाद संख्या–07/2018–19

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
19-6-20	अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका/अपीलार्थी रसीदा खातून पति–मोहम्मद समशुदीन, पुत्री–स्व0 शेख याकूब, ग्राम–मीर मोहल्ला, मनोहरपु, पो0+थाना–मनोहरपुर, जिला–प0 सिंहभूम ने अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के नामांतरण वाद संख्या–51/R-27/2018–19 दिनांक–26.07.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक–05.01.2019 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में नामांतरण अपील दायर करने हेतु आवेदन पत्र समर्पित किया गया। आवेदिका के आवेदन पत्र के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में नामांतरण अपील वाद संख्या–07/2018–19 प्रारम्भ की गयी है।	

भूमि का विवरण

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा
मनोहरपुर	90	47	1017	0.06 ए0

अंचल अधिकारी, मनोहरपुर दिनांक–26.07.2018 को नामांतरण वाद संख्या–51/R-27/2018–19 राजस्व कर्मचारी–सह–अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया। राजस्व कर्मचारी–सह–अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदन पत्र में सही खेसरा का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। आवेदिका के आवेदन पत्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि खतियानी रैयत शेख याकुब के मरणोपरांत उसकी पत्नी वफातन बीबी अपनी एक मात्र पुत्री रसीदा खातून को उक्त वर्णित भूमि से 0.03 ए0 भूमि पूर्व में दान कर दिया गया है। जिसपर मिट्टी का मकान है और खतियानी रैयत और आवेदिका की माता के मरणोपरांत उपरोक्त पूर्ण सम्पत्ति पर एकमात्र पुत्री होने के नाते दखल कर रही है। आवेदिका द्वारा वंशावली भी दाखिल किया गया जो जिला परिसद सदस्य मनोहरपुर भाग–2 पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड द्वारा प्रमाणित होकर है साथ–ही आवेदिका द्वारा अपने माता व पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी दाखिल किया गया है, चुँकी मुस्लिम लॉ के अनुसार भूमि पर पिता के मृत्यु के पश्चात् पुत्र का हकियत होता है। इस केस में आवेदिका द्वारा दाखिल दस्तावेज से स्पष्ट है कि आवेदिका रसीदा खातून खतियानी रैयत की एकमात्र पुत्री है। आवेदिका के उपरोक्त वाद भूमि पर आवास स्थित है जिसपर उसका दखल है।

दाखिल खारिज से पंजी–II में सुधार होता है। जिससे राजस्व की वसूली की जा सके। राजस्व पदाधिकारी नामांतरण के माध्यम से कोई हकीयत निर्धारण नहीं करते हैं।

उपरोक्त सारे तथ्यों पर सम्यक रूप से विचारोपरांत मौजा–मनोहरपुर, थाना नं0–90, खाता संख्या–47, खेसरा संख्या–1017, कुल रकवा–0.06 ए0 भूमि के नामांतरण अपील को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में रसिद निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति अपीलार्थी एवं अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को उपलब्ध करावें।

Digitally signed by ABHIJEET SINHA
Date: 2021.12.23 13:39:17 +05:30
Location: 192.168.225.91

19-6-20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।